भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल, पौड़ी गढ़वाल

(पूर्व छात्रों हेतु पुस्तकालय उपयोग सम्बन्धी निर्देश)

पुस्तकालय समिति के पूर्व छात्रों को पुस्तकालय सुविधाओं के लाभ हेतु प्रस्ताव के प्राचार्य द्वारा अनुमोदनोपरांत समिति की बैठक दि. 31-05-2023 में एतदर्थ निम्नांकित नियम निर्धारित किये गए हैं -

1. महाविद्यालय का कोई भी पूर्व छात्र अध्ययन हेतु महाविद्यालय पुस्तकालय के वाचनालय का उपयोग कर सकता है|
2. पहचान निर्धारण के लिए आधार कार्ड व अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा(इस महाविद्यालय से) की अंकतालिका प्रस्तुत करनी होगी|
3. विद्यार्थी को पुस्तकालय से इस हेतु पंजीकरण आवेदन प्राप्त कर उसको पूरित कर संलग्नकों सहित प्रस्तुत करना होगा|
4. इस लाभ को प्राप्त करने के लिए रु 500/- (पांच सौ) सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करना होगा, जिसमे से रु 100/- (रु. एक सौ प्रति वर्ष) प्रथम वर्ष का शुल्क तथा शेष रु. 400/- (रु. चार सौ) वापसी योग्य जमानत राशि होगी|
5. एक समय में अधिकतम 50 विद्यार्थियों को ही यह सुविधा देय होगी|
6. वाचनालय का उपयोग समय पुस्तकालय के कार्य दिवसों में अपराह्न 1 से 4 बजे तक होगा|
7. विद्यार्थियों को कोई भी पुस्तक निर्गत करवाने (पुस्तकालय से बाहर हेतु) का अधिकार नहीं होगा|
8. विशेष परिस्थिति में पुस्तक के अंकित मूल्य की दोगुनी राशि धरोहर रखकर पुस्तकालय समिति की संस्तुति पर पुस्तक देय होगी|
9. क्रमांक 3 के अनुसार प्राप्त आवेदनों पर समिति की अनुशंसा के उपरांत सम्बंधित को पुस्तकालय सदस्यता पत्र निर्गत किये जायेंगे |
10. पुस्तकलय का उपयोग एक विद्यार्थी की नैतिकता के साथ किया जायेगा तथा नियमित छात्र छात्राओं की तरह सभी व्यवहार के नियम इस प्रकार के पूर्व छात्र पर भी लागू होंगे|
11. वाचनालय पर वर्तमान अध्ययनरत विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों का प्रथम अधिकार होगा|
12. पुस्तकालय कार्मिक इस योजना हेतु पृथक पंजिका तथा अभिलेखों का रखरखाव करेंगे, जिसका पाक्षिक अवलोकन पुस्तकालय प्रभारी करेंगे तथा यथा समय प्राचार्य तथा उच्चाधिकारियों को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे|
13. प्राप्त धनराशि का लेखांकन कार्मिको द्वारा किया जायेगा तथा इसका उपयोग समिति व प्राचार्य की अनुशंसा के अनुरूप किया जा सकेगा|
14. यथा समय आवश्यकतानुरूप यह नियम परिवर्तनीय होंगे|

प्राचार्य
भक्त दर्शन राज0 स्ना0 महाविद्यालय
जयहरीखाल (गढ़वाल)